प्रपत्र : 1 कुल पृष्ठ – 5

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला, चौकी, एसीबी, अजमेर ..... थाना सीपीएस, एसीबी, जयपुर वर्ष ... 2023.....
प्र. इ. रि. स. .....200/2023..... दिनांक .....27/7/2023.....
2. (अ) अधिनियम ... भ्र0 नि0 अधिनियम 1988 .....धारायें...7 भ्रष्टाचार निवारण (यथा संशोधन 2018) अधिनियम 1988 .....
(ब) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धारायें. ....
(स) अधिनियम .....धारायें.....
(द) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या .....1081.....समय.....5:30P.M.....
(ब) अपराध घटने का दिन–दिनांक 26.07.2023.... समय 10.50 एएम .....
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 25.07.2023 समय.....03.00 पीएम.....
4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक – लिखित
5. घटनास्थल :–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – दिशा दक्षिण 21 किलोमीटर .....
(ब) पता – पुलिस थाना श्रीनगर की गली के पास नुक्कड पर स्थित चाय की होटल बीट सख्या ..... जरायमदेही सं.....
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना.....जिला.....
6 परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम.... श्री शेरू सिंह .....
(ब) पिता का नाम श्री कामड़ सिंह .....
(स) जन्म तिथि /वर्ष 36 साल.....
(द) राष्ट्रीयता.....भारतीय .....
(य) पासपोर्ट सख्या .....जारी होने की तिथी..... जारी होने की जगह.....
(र) व्यवसाय..... .....खेती .....
(ल) पता . रायगढ़ मोहल्ला गांव बीर, पुलिस थाना श्रीनगर, जिला अजमेर.....
7 ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–
श्री जयपाल सिंह पुत्र श्री शंकरपाल सिंह उम्र 47 साल जाति राजपूत निवासी लिंक रोड़, राजारेड़ी, मदनगंज–किशनगढ़, जिला अजमेर हाल हैड़ कानि0 502 पुलिस थाना श्रीनगर, जिला अजमेर।

8 परिवादी/ सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–कोई नही.....
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगाये) .....5,000रू0 रिश्वत राशि.....
10. चुराई हुई /लिप्त सम्पति का कुल मूल्य .... पंचनामा/ यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो)..... 5,000रू0 रिश्वत राशि .....
11 विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये).....

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, अजमेर। विषय :– कानूनी कार्यवाही करने बाबत्। प्रार्थी शेरू सिंह पुत्र श्री कामड़ सिंह रावत उम्र 34 वर्ष निवासी बीर, पुलिस थाना श्रीनगर, जिला अजमेर। महोदय उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मुझ प्रार्थी व मेरे काका रामचन्द्र रावत के शामिल में तीन बीघा कृषि भूमि गांव बीर में स्थित है। जिसका रिकार्ड में बंटवारा नही हो रखा है। मेरा काका रामचन्द्र श्रीनगर थाने के दीवान श्री जयपाल व अन्य पुलिस वालो से मिलीभगत कर अवैध बजरी लोड़ करवाता है। मैने मेरे काका रामचन्द्र को हमारे शामलाती खेत से बजरी निकालने के लिए ओलमा दिया तो उसने मेरे खिलाफ पुलिस थाना श्रीनगर (अजमेर) मे परिवाद कर दिया, जिसकी जांच श्री जयपाल दीवान कर रहा है। जिसने मुझे धारा 151 मे बंद करने की धमकी देकर दिनांक 19.07.23 को 5 हजार रूपये खेत पर आकर ले लिये। इसके बाद जयपाल जी ने मुझसे और रूपये लेकर थाने पर बुलाया था। जिस पर दिनांक 21.07.23 को जयपाल जी ने अपने मोबाईल नम्बर 8000568303 से मेरे मोबाईल नम्बर 9571956710 पर फोन किया, जो मैं उठा नही पाया। उसके बाद मैने फोन किया तो मुझे कहा कि थाने पर आ जा। जयपालजी दीवान मेरे को बंद करने की धमकी देकर रिश्वत मांग रहे है, जो मै नही देना चाहता हूँ। कार्यवाही करावें। प्रार्थी शेरू 9571956710 दिनांक 25.07.23

कार्यवाही पुलिस एसीबी अजमेर

समय : 03.00 पीएम दिनांक : 25.07.2023

उक्त लिखित रिपोर्ट परिवादी श्री शेरू सिंह पुत्र श्री कामड़ सिंह जाति रावत उम्र 36 साल निवासी रायगढ़ मोहल्ला, गांव बीर, पुलिस थाना श्रीनगर, जिला अजमेर ने उपस्थित कार्यालय होकर श्री अतुल साहू अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसीबी अजमेर के समक्ष पेश की।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र परिवादी को पढ़कर सुनाया गया तो परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य सही होना बताया। परिवादी ने बताया कि मैं कक्षा 5 तक पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए मैने यह रिपोर्ट मेरे मिलने वाले वकील साहब के मुंशी जितेन्द्र सिंह रावत से लिखवायी थी। परिवादी ने दरियाफ्त पर बताया कि "मेरे काका मोहन सिंह पुत्र उगमा सिंह के कोई औलाद नही है उनकी जमीन को बीस वर्ष से मैं ही बो रहा हूँ इसी जमीन के पास मेरे दूसरे काका श्री रामचन्द्र पुत्र श्री उगमा सिंह की जमीन है। रामचन्द्र काका ने मेरी जमीन मे से भी बजरी निकाल ली, जिसका मैने ओलमा दिया तो उसने मेरी श्रीनगर थाने मे रिपोर्ट कर दी कि मैने उसकी जमीन मैं बाजरा बो दिया। जबकि मैने मेरी करीब डेड बीघा जमीन में ही बाजरा बो रखा है। मेरे खिलाफ की गई शिकायत की जांच श्री जयपाल दीवान पुलिस थाना श्रीनगर द्वारा की जा रही हैं। जयपाल जी मुझे बंद करने की धमकी देकर रिश्वत मांग रहे है।" परिवादी ने पूछने पर बताया कि जयपाल जी दीवान से मेरी कोई रंजिश नही है व ना ही उधार का कोई लेन–देन हैं। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से मामला रिश्वत राशि की मांग का पाया जाता हैं। अतः रिश्वत राशि की मांग का नियमानुसार सत्यापन करवाया जाकर अग्रिम कार्यवाही अमल मे लायी जायेगी। एस.डी. शेरू, एसडी श्री अतुल साहू अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक। श्री रामचन्द्र हैड़ कानि0 का परिवादी से परिचय करवाकर डिजिटल वॉयस रिकार्डर में नया मेमोरी कार्ड डालकर परिवादी को सुपुर्द कर परिवादी व श्री रामचन्द्र हैड़ कानि0 को परिवादी की मोटर साईकिल से वास्ते रिश्वत राशि मांग सत्यापन रवाना किया गया। बाद सत्यापन श्री रामचन्द्र हैड़ कानि0 व परिवादी उपस्थित कार्यालय आये एवं परिवादी ने वॉयस रिकार्डर प्रस्तुत कर बताया कि मैं व श्री रामचन्द्र हैड़ कानि0 एसीबी कार्यालय से रवाना होकर पुलिस थाना श्रीनगर के पास पहुँचे। मैं वॉयस रिकार्डर चालु कर पुलिस थाना में चला गया तथा ये बाहर ही होटल पर बैठे रहे। थाने पर जाकर मैने श्री जयपाल जी दीवान जी से मिला तो उन्होने मुझे जाते ही बंद करने की धमकी दी तथा उनके पास खडे व्यक्ति को पट्टा लेकर आने के लिए कहा, जिस पर मैं डर गया और मैने दो हजार रूपये निकालकर उनको देना चाहा तो उन्होने मुझे बिठा लिया। इन्होने मेरे विरूद्ध दर्ज परिवाद मे मामला निपटाने की एवज में मेरे से रूपये मांगे और कहा कि अभी कितने लेकर आया है तो मैने कहा कि अभी तो मैं दो हजार रूपये ही लाया हूँ तो जयपालजी ने दो हजार रूपये ले लिये और कहा कि इससे क्या होगा, ये तो मैं अभी रख लेता हूँ। सुबह नौ बजे आ जाना और अंगुलियो के ईशारे से 5000 रूपये और मांगे। इस पर वॉयस रिकार्डर चालु कर सुना गया तो परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्टि हुई। श्री रामचन्द्र हैड़ कानि0 ने बताया कि परिवादी ने आरोपी से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करने जाने से पहले मुझे बताया कि "जयपाल दीवान अभी कुछ पैसे तो लेगा, वरना मुझे बंद कर देगा।" इस पर परिवादी को समझाईस की गई कि "अभी जयपाल दीवान को दो हजार रूपये दे देना और परिवादी के पास उपलब्ध पांच–पांच सौ के चार नोटो की मैने मेरे मोईबल से फोटो खेंच ली थी।" श्री रामचन्द्र हैड़ कानि0 ने बताया कि मैंने परिवादी को पुलिस थाना श्रीनगर में जाते हुए एवं आते हुए देखा था। परिवादी को रिश्वत राशि 5,000 रूपये की व्यवस्था कर दिनांक 26.07.23 को सुबह 07.30 बजे उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर रूखसत किया गया तथा वॉयस रिकार्डर को कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा गया।

दिनांक 26.07.23 को श्री अतुल साहू, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मुझे कक्ष मे बुलाकर परिवादी श्री शेरू सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता का डिजिटल वॉयस रिकार्डर एवं रनिंग नोट मुझे सुपुर्द किया तथा परिवादी से परिचय करवाया। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस ने डिजिटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता को सुना तो रिश्वत राशि मांग का सत्यापन होना पाया गया। दोनो स्वतन्त्र गवाहान को मन् निरीक्षक पुलिस ने अपना व परिवादी का परिचय देकर उनका परिचय पूछा तो एक ने अपना नाम श्री भगवानदास जेठानी कनिष्ठ सहायक, एवं श्री राहूल सैन कनिष्ठ सहायक, कार्यालय नगर निगम, अजमेर बताया। दोनो गवाहान को परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढ़कर सुनाया गया। तत्पश्चात् दोनो गवाहान से ट्रेप कार्यवाही मे स्वतन्त्र गवाह रहने की सहमति चाही गई तो दोनो ने अपनी–अपनी मौखिक सहमति प्रदान की। तत्पश्चात् परिवादी श्री शेरू सिंह ने स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष रिश्वत मे दी जाने वाली राशि 500–500 रूपये के 10 नोट कुल 5,000 रूपये पेश किये, जिन पर श्री चतुर्भुज सैन वरिष्ठ सहायक से कार्यालय की अलमारी मे से फिनोफथलीन पाउडर मंगवाकर नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर परिवादी श्री शेरू सिंह की पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब मे कुछ भी शेष नही छोडते हुए पाउडरयुक्त नोट

रखवाये गये। परिवादी एवं स्वतन्त्र गवाहान को फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रकिया को दृष्टांत देकर समझाया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी एवं दृष्टांत पृथक से तैयार कर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादी द्वारा रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दोरान आरोपी जयपाल सिंह को दिये 500–500 रूपये के चार नोट कुल 2000 रूपये की श्री रामचन्द्र हैड़ कानि0 द्वारा ली गई फोटो का प्रिंट प्रस्तुत किया, जिसे शामिल कार्यवाही किया गया। कार्यालय अलमारी से वॉयस रिकार्डर निकालकर उसमे नया मैमोरी कार्ड डालकर श्री रामचन्द्र हैड़ कानि0 को सुपुर्द किया तथा परिवादी स्वयम् की कार से, मन् निरीक्षक पुलिस नरेश चौहान मय श्री कैलाश चारण हैड़ कानि0, श्री गोविन्द शर्मा कानि0, श्री रविन्द्र सिंह कानि0, श्री किरण कुमार कनिष्ठ सहायक के प्राईवेट वाहन से एवं श्री युवराज सिंह सउनि, श्री रामचन्द्र हैड़ कानि0 मय स्वतन्त्र गवाह श्री राहूल सैन, श्री भगवानदास एवं सुपरविजन हेतु श्री अतुल साहू अति0 पुलिस अधीक्षक पुलिस मय प्राईवेट वाहन मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिंटर के एसीबी कार्यालय से रवाना होकर पुलिस थाना श्रीनगर के पास पहुॅचे। श्री रामचन्द्र हैड़ कानि0 ने परिवादी श्री शेरू सिंह को वॉयस रिकार्डर सुपुर्द कर रिश्वत राशि देने हेतु पुलिस थाना श्रीनगर के लिए रवाना किया तथा मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान के श्रीनगर थाने के आस–पास अपनी–अपनी उपस्थित छीपाते हुए परिवादी के निर्धारित ईशारे के इन्तजार में मुकिम हुए। समय 10.50 एएम पर परिवादी श्री शेरू सिंह ने पुलिस थाना श्रीनगर मे प्रवेश करने वाली गली के नुक्कड़ पर बांयी ओर बनी चाय की होटल पर एक वर्दीधारी पुलिस कर्मी के सामने खड़े होकर अपने सिर पर हाथ फेर कर रिश्वत राशि देने का निर्धारित ईशारा किया। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस ने समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यो को ईशारा कर बुलाया तथा मैं मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं ट्रेप पार्टी सदस्यो श्री युवराज सिंह सउनि, श्री रामचन्द्र हैड़ कानि0, श्री कैलाश चारण हैड़ कानि0, श्री गोविन्द सहाय कानि0, श्री रविन्द्र सिंह कानि0, श्री किरण कुमार कनिष्ठ सहायक के परिवादी के पास पहुॅचा तथा परिवादी से वॉयस रिकार्डर लेकर बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा तथा परिवादी ने अपने सामने वर्दी में खड़े हैड़ कानि0 की और ईशारा कर बताया कि "यही श्री जयपाल हैड़ कानि0 है, जिन्होने अभी मेरे से रिश्वत राशि के 5000 रूपये अपने हाथो से लेकर अपनी पेंट की सामने की बांयी जेब में रख लिये हैं।" इस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा उक्त वर्दीधारी व्यक्ति को अपना व हमराहीयान का परिचय देकर आने के प्रयोजन से अवगत कराते हुए इसका परिचय पूछा तो अपना नाम "जयपाल सिंह पुत्र श्री शंकरपाल सिंह उम्र 47 साल जाति राजपूत निवासी लिंक रोड़, राजारेड़ी, मदनगंज–किशनगढ़, जिला अजमेर" होना बताया। श्री जयपाल सिंह को परिवादी से ली गई रिश्वत राशि के संबंध में पूछा तो कुछ देर चुप रहा। पुनः पूछने पर बताया कि "शेरू के खिलाफ इसके परिवार वालो ने जमीन के विवाद को लेकर परिवाद दे रखा था, जिसमें इसने कहा कि साहब मेरी मदद करना इसलिए इसने 5000 रूपये दिये और मैंने लेकर रख लिये, गलती हो गई, जो होना सो हो गया।" रिश्वत राशि के संबंध में पूछने पर श्री जयपाल सिंह ने रिश्वत राशि 5000 रूपये अपनी वर्दी की पेंट की बांयी जेब में रखा होना बताया। जयपाल सिंह के हाथ में एक पेड में कुछ कागजात पाये गये, जिन्हे गवाह श्री राहूल सैन के पास सुरक्षित रखवाये गये। श्री जयपाल सिंह द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि प्राप्त करना पाया जाने पर प्राईवेट वाहन मे से ट्रेप बॉक्स मंगवाया जाकर मौके पर ट्रेप बॉक्स में से दो साफ कांच के गिलास निकलवाये जाकर चाय की होटल से पानी लेकर गिलासो को धोकर उनमे साफ पानी भरकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर अलग अलग गिलासो के घोल मे श्री जयपाल सिंह के दाहिने व बांये हाथ की अगुंलियो एवं अंगुठे को बारी–बारी से डुबोकर धुलवाया गया तो दाहिने हाथ का धोवण का रंग हल्का मटमेला एवं बांये हाथ के धोवण का रंग हल्का गुलाबी हो गया। तत्पश्चात चार कांच की साफ शिशियो को पुनः साफ कर दाहिने हाथ के धोवण को दो शीशीयो मे आधा–आधा भरकर व बायें हाथ के धोवण को दो शीशीयो मे आधा–आधा भरकर चारो शीशीयों को सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात् स्वतन्त्र गवाह श्री भगवानदास से श्री जयपाल सिंह की पेंट की बांयी जेब में रखी रिश्वत राशी आरोपी की निशादेही से निकलवायी गई तथा पूर्व में तैयार की गई फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट से दोनो गवाहान को मिलान कर गिनने की कहने पर दोनो गवाहान ने नोटो के नम्बरो का मिलान हुबहु होना तथा 500–500 रूपये के दस नोट कुल 5000 रूपये होना बताया गया। नोटो को गवाह श्री भगवानदास के पास सुरक्षित रखवाये गये तथा मौके पर भीड़ भाड़ होने के कारण मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान मय जब्तशुदा आर्टिकल मय आरोपी श्री जयपाल सिंह के

पास ही स्थित पंचायत समिति श्रीनगर के कार्यालय में पहुॅचे तथा श्री भंवर सिंह चारण विकास अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर जनसुनवाई कक्ष में बैठकर कार्यवाही आंरभ की गई। उक्त बरामदशुदा रिश्वत राशि के 500–500 रूपये के 10 नोटो को एक सफेद कागज के लिफाफे में रखकर सील्ड कर मार्क एन अंकित कर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये। धोवण की चारो शीशीयो को सील्ड चिट किया जाकर दाहिने हाथ के धोवण की शीशीयो को मार्क कमंशः आरएच 1, आरएच 2 एवं बांये हाथ के धोवण की शीशीयो को मार्क कमशः एलएच 1 व एलएच 2 चिन्हित कर चिट व कपडे पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये। तत्पश्चात् आरोपी श्री जयपाल सिंह एवं गवाहान को हमराह लेकर थाना परिसर में स्थित आरोपी के बेरिकनुमा कक्ष में पहुॅचे तथा आरोपी की तलाशी गवाह श्री राहूल सैन से लिवायी गई तो पेंट की दाहिनी जेब में एक मोबाईल ओपो कम्पनी का व एक प्लास्टिक थेली में 500–500 रूपये के नोटो की गड्डी व एक एसबीआई का एटीएम कार्ड मिले, जिनको गवाह के पास सुरक्षित रखवाया गया। उक्त कक्ष में आरोपी की वर्दी खुलवाकर आरोपी कक्ष में रखी सिविल ड्रेस को आरोपी को पहनवाया गया, उक्त कक्ष में कोई संदिग्ध वस्तु अथवा राशि नही मिली। तत्पश्चात् मन् निरीक्षक पुलिस मय स्वतन्त्र गवाहान मय आरोपी एवं आरोपी की वर्दी की पेंट को हमराह लेकर पुनः जनसुनवाई कक्ष में पहुॅचे। ट्रेप बॉक्स में से एक कांच का साफ गिलास निकलवाया जाकर उसको साफ पानी से धुलवाया जाकर कांच के गिलास मे साफ पानी भरकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर श्री जयपाल सिंह की वर्दी की पेंट की बांयी जेब को उलटवाकर सोडियम कोर्बोनेट के घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग हल्का गुलाबी हो गया। तत्पश्चात दो कांच की साफ शिशियो मे आधा–आधा भरकर दोनो शीशीयों को सील्ड चिट किया जाकर मार्क कमंशः पी 1, पी 2 चिन्हित कर चिट व कपडे पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये। उक्त पेंट बरंग खाकी वर्दी की बांयी जेब, जहां से रिश्वत राशि बमराद हुई पर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाकर उक्त पेंट को एक सफेद की कपड़े की थेली मे डालकर सील्ड कर मार्क ''पी'' अंकित किया। आरोपी श्री जयपाल सिंह को परिवादी से वक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन प्राप्त किये गये 500–500 रूपये के चार नोट कुल 2000 रूपये के संबंध में पूछा तो बताया कि साहब खर्च हो गये। इस पर आरोपी के पास प्लास्टिक की थेली में मिले नोटो को गिनवाया गया तो 500–500 रूपये के 75 नोट, दो सो रूपये का एक नोट, सौ रूपये के दो नोट, पचास का एक नोट, बीस के दो नोट व दस रूपये के दो नोट कुल 38010 रूपये होना पाया गया। परिवादी द्वारा सत्यापन के दौरान दिये गये पांच सौ रूपये के चार नोटो की फोटोग्राफ में अंकित नोटो के नम्बरो का मिलान उक्त 75 पांच–पांच सौ रूपये के नोटो मे से करने की कहने पर दोनो गवाहान ने नोटो का मिलान कर उक्त नोटो में पांच–पांच सौ रूपये के तीन नोटो के नम्बरो का मिलान हुबहु होना पाया गया। तीनो नोटो को एक सफेद कागज के लिफाफे में रखकर सिल्ड कर मार्क एन–1 अंकित किया जाकर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये। पांच सौ रूपये के चौथे नोट नम्बर 1डीब्ल्यू 509826 के संबंध में पूछा तो आरोपी ने बताया कि मैने रात को इससे 2000 रूपये लिये थे वो मैने मेरी जेब खर्च की राशि के साथ रख दिये थे, इसलिए एक पांच सौ का एक नोट मेरे से चाय पानी में खर्च हो गया था। शेष 36,510 के संबंध में पूछने पर श्री जयपाल सिंह ने बताया कि उक्त राशि मैं अभी दो तीन दिन पहले घर गया था, तब घर से लेकर आया था, उक्त राशि मैने पूर्व में अपने घर पर रखी हुई थी, क्योंकि मेरी बच्ची बीमार रहती है, इसलिए मैं पैसे रखता हूॅ। उक्त राशि 36510 रूपये एवं मोबाईल व एटीएम कार्ड आरोपी के पास ही रखवाये गये। आरोपी से परिवादी के विरूद्ध दर्ज परिवाद के संबंध में पूछा तो आरोपी ने बताया कि इसी पेड में शेरू सिंह व नरेन्द्र सिंह के खिलाफ परिवादी रामचन्द्र द्वारा दिया गया परिवाद रखा हुआ हैं। उक्त पेड, जो गवाह के पास रखवाया गया है का अवलोकन किया गया तो एक परिवाद परिवादी श्री रामचन्द्र रावत द्वारा दिनांक 12.07.23 को प्रस्तुतशुदा एवं पुलिस थाना के परिवाद रजिस्टर के पार्ट–3 कमांक 232 दिनांक 12.07.23 अंकितशुदा होकर एफ.सी. 2025 श्री सुभाष जांचकर आवश्यक कार्यवाही करे का अंकन होकर हस्ताक्षर हो रखे हैं। उक्त परिवाद में परिवादी श्री रामचन्द्र के पुत्र श्री बीरम सिंह का मेडिकल डिपार्टमेंट का डिसएबीलीटी प्रमाण पत्र एवं उक्त प्रमाण पत्र के पुश्त पर शेर सिंह पुत्र श्री कामड सिंह, नरेन्द्र सिंह पुत्र हेम सिंह एवं मो.नं. 7568854342, 9571956710 अंकित होना पाया गया तथा परिवादी श्री रामचन्द्र के बयान व गांव बीर के खसरा नं. 2894, 2895 रामचन्द्र पुत्र श्री लादु सिंह के नाम की जमीन की जमाबंदी संलग्न पायी गई। इस परिवाद के संबंध में पूछने पर आरोपी ने बताया कि बीर गांव का बीट कानि0 श्री सुभाष है,

जिसके जिम्मे जांच की गई परन्तु सुभाष के दिनांक 22.07.23 को मोर्हरम ड्यूटी में अजमेर जाने से एवं बीर गांव का बीट प्रभारी अधिकारी मै होने ये परिवाद सुभाष मुझे देकर गया था, जिसकी वर्तमान में जांच मैं कर रहा हूँ। मैने इस परिवाद में शेरू सिंह व नरेन्द्र सिंह का नाम व मोबाईल नम्बर मेडिकल प्रमाण पत्र के पीछे अपनी हस्तलेखनी में अंकित किये है एवं इन दोनो को बुलाया था, जिसमें शेरू सिंह तो आ गया था परन्तु नरेन्द्र सिंह नही आया। मैने अभी तक इस परिवाद में किसी के बयान नही लिये। पूछने पर बताया कि "मैं दिनांक 19.07.23 को वसूली वारंट की तामिल में गया था, इस परिवाद की जांच में नही गया था ना ही मैने 19.07.23 को शेरू सिंह के खेत पर जाकर शेरू सिंह से 5000 रूपये लिये।" इस पर पास ही खड़े परिवादी शेरू सिंह ने बताया कि "जयपाल जी झूंठ बोल रहे है। ये दिनांक 19.07.23 को हमारे गांव थाने की जीप में आये थे तथा मुझे धमकाकर मेरे से 5000 रूपये लेकर गये थे। कल शाम को भी इन्होने मुझे बंद करने व पट्टे से मारपीट करने की धमकी देकर मेरे से 2000 रूपये ले लिये और कहा कि इससे क्या होगा, ईशारे से पांच हजार रूपये और मांगे। आज अभी मैं इनसे मिला तो फिर दस हजार रूपये और मांगे तो मैने कहा कि अभी तो मेरे पास पांच हजार रूपये ही है, जो इन्होने लेकर रख लिये।" पुलिस थाना श्रीनगर के प्रभारी श्री हनुमान, सहायक उप निरीक्षक पुलिस को तलब कर उक्त परिवाद के संबंध में परिवाद रजिस्टर, ड्यूटी रजिस्टर, बीट चार्ट, रोजनामचा आम प्रमाणित प्रति प्राप्त की गई। जिनका अवलोकन किया गया जाकर शामिल कार्यवाही किये गये। मूल परिवाद की फोटो कापी करवाकर श्री हनुमान सउनि को सुपुर्द किया गया एवं मूल परिवाद कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी श्री जयपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया एवं फर्द नक्शा मौका घटना स्थल तैयार किया गया। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता एवं रिश्वत राशि लेन–देन वार्ता की ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार की गई तथा दोनो वार्ताओ की पृथक–पृथक दो–दो सीडीयां तैयार की गई एवं दोनो वार्ताओ के मेमोरी कार्ड को अलग–अलग कपड़े की थेली मे सील्ड किया तथा संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये।

सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी श्री जयपाल सिंह हैड़ कानि0 द्वारा परिवादी श्री शेरू सिंह से उसके विरूद्ध दर्ज परिवाद में 151 सीआरपीसी में बंद करने की धमकी देकर दिनांक 25.07.23 को आरोपी श्री जयपाल सिंह, हैड़ कानि0 द्वारा वक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन 2000 रूपये लेना व 5000 रूपये और रिश्वत की मांग करना। जिस पर दिनांक 26.07.23 को आरोपी श्री जयपाल सिंह हैड़ कानि0 ने उसकी मांग के अनुसार परिवादी से रिश्वत राशि के शेष 5,000 रूपये अपने हाथो से प्राप्त कर अपनी पहनी हुई वर्दी की पेंट की बांयी जेब में रखे, जहां से रिश्वत राशि बरामद हुई। आरोपी श्री जयपाल सिंह हैड़ कानि0 द्वारा दिनांक 25.07.23 को वक्त सत्यापन परिवादी से ली गई रिश्वत राशि 2000 रूपये में से 1500 रूपये भी बरामद होना पाया गया। इस प्रकार आरोपी श्री जयपाल सिंह हैड़ कानि0 502 का उक्त कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यथा संशोधन 2018) 1988 का कारित करना पाया जाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन श्रीमान् महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवा मे सादर प्रेषित हैं।

(नरेश चौहान)
निरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
अजमेर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नरेश चौहान, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री जयपाल सिंह पुत्र श्री शंकरपाल सिंह, हाल हैड कानि. नम्बर 502, पुलिस थाना श्रीनगर, जिला अजमेर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 200/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

27.7.23

(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांकः- 2406-09 दिनांक 27.07.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला अजमेर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।

27.7.23

पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।